न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/होशं/भूरा/2017/4921 विरूद्ध आदेश दिनांक 22-09-2017 पारित द्वारा अपर आयुक्त नर्मदापुरम् संभाग होशंगाबाद प्रकरण क्रमांक 153/अपील/2016-17

1-शंकरलाल आत्मज बालमुकुन्द चौरे
निवासी पुरानी इटारसी तहसील इटारसी
जिला होशंगाबाद म0प्र0
2-विष्णुप्रसाद चौरे आत्मज श्री बालमुकुन्द चौरे
निवासी जमानी रोड, पुराना इटारसी
जिला होशंगाबाद म0प्र0
3-चन्दनलाल चौरे आत्मज श्री बालमुकुन्द चौरे
निवासी नागपुर रोड पुरानी इटारसी जिला होशंगाबाद .....आवेदकगण

विरूद्ध

1-श्रीमती फूलवती बाई पुत्री सुंदरलाल चौरे पत्नि श्री जगदीश प्रसाद
निवासी चांदौन तहसील इटारसी जिला होशंगाबाद
2-श्रीमती सविताबाई चौरे पुत्री स्व0श्री सुंदरलाल चौरे पत्नि श्री रमेश चौरे
निवासी ताराखेडा तहसील इटारसी जिला होशंगाबाद
3-बबीता बाई चौरे पुत्री स्व0श्री सुंदरलाल चौरे पत्नि श्री रामलाल चौरे
निवासी ग्राम काजलखेडी बाबई जिला होशंगाबाद
4-श्रीमती गणेशीबाई चौधरी पुत्री स्व0श्री सुंदरलाल चौरे पत्नि श्री प्रेमनारायण चौधरी
निवासी ग्राम तारारोडा तहसील इटारसी जिला होशंगाबाद
5-श्रीमती राजमणी चौधरी पुत्री स्व0श्रीसुंदरलाल चौरे पत्नि ठाकुरदास चौधरी
निवासी ग्राम सनखेडा तहसील इटारसी जिला होशंगाबाद
6-श्रीमती शकुन बाई चौरे पुत्री स्व0श्री सुंदरलाल चौरे पत्नि श्री विनयकुमार
निवासी ग्राम बम्हनगॉव तहसील व जिला होशंगाबाद
7-श्रीमती कलाबाई पटैल पुत्री स्व0 श्री बालमुकुन्द चौरे पत्नि श्री नारायण पटैल
निवासी जमानी रोड पुरानी इटारसी तहसील इटारसी जिला होशंगाबाद .....अनावेदकगण

श्री विश्वास सोनी, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री सी0के0पटेल, अभिभाषक, अनावेदक क्रमांक 1, 2, 4 व 5

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 4/10/18 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त नर्मदापुरम् संभाग होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 22-09-2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रकरण में आवेदकगण एवं अनावेदकगण एक ही परिवार के सदस्य हैं । ग्राम इटारसी स्थित कृषि भूमि खसरा 318/1 रकबा 1.163 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 499/1 रकबा 0.044 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 328/3 रकबा 0.409 हेक्टैयर, खसरा नम्बर 331 रकबा 0.186 हेक्टैयर, खसरा नम्बर 333 रकबा 0.510 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 334/1 रकबा 1.263 हेक्टेयर, खसरा 338/1 रकबा 0.547 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 346 रकबा 1.331 हेक्टेयर,खसरा नम्बर 499/1 रकबा 0.044 हेक्टेयर कुल रकबा 4.650 हेक्टेयर (11.49 एकड़) एवं मौजा शहर इटारसी में परिवर्तित भूमि खसरा नम्बर 318/2 रकबा 0.269 हेक्टेयर खसरा नम्बर 334/2 रकबा 0.607 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 338/2 रकबा 0.101 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 346/3 रकबा 1.263 हेक्टेयर कुल रकबा 5.55 एकड़ एवं मौजा मेहरागॉव स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 563/8, 564/2 रकबा0.971 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 565/4 रकबा 1.295 हेक्टेयर कुल रकबा 2.266 हेक्टेयर (5.60 एकड़) जुमला रकबा शहर इटारसी एवं मेहरागॉव 20.06 एकड़ एवं परिवर्तित शहर इटारसी 5.55 डिसमिल कुल जुमला रकबा 25.61 एकड़ याने 10.364 हेक्टेयर भूमि के बालमुकुन्द मालिक स्वामी एवं आधिपत्यधारी थे । बालमुकुन्द की मृत्यु के बाद आवेदकगण, स्व0 भूमिस्वामी की पत्नी प्रकाशबाई एवं अनावेदक क्रमांक 1 लगायत 6 की माता गंगाबाई द्वारा तहसीलदार के समक्ष संहिता की धारा 178 के तहत आवेदन प्रस्तुत कर प्रश्नाधीन भूमि पर बंटवारा किये जाने का तहसील न्यायालय के समक्ष निवेदन किया गया । तहसीलदार द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध कर दिनांक 23-10-2003 को बंटवारा आदेश पारित किया गया । तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष

प्रथम अपील प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 25-3-2017 को आदेश पारित कर अपील अस्वीकार की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 22-9-2017 को आदेश् पारित कर तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेश निरस्त किये जाकर निगरानी स्वीकार की गई है । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकपक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :-

(1) द्वितीय अपीलीय न्यायालय ने संहिता की धारा 178 के प्रावधानों को समझे बगैर ही दिनांक 22-9-2017 को जो आदेश पारित किया है वह इसी आधार पर निरस्त किये जाने योंग्य है ।

(2) अधीनस्थ न्यायालय को यह देखना चाहिये था कि उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में नवीन धारा 6(1) सन् 2005 में संशोधित की गई है कि यद्वपि पुत्रियों को जन्म से सहदायित्व की संपत्ति में पुत्र के समान ही हक रहेगा परन्तु दिनांक 20-12-2004 के पूर्व संपत्ति का बंटवारा कर दिया गया है तो उसको धारा 6 की उपधारा 1 के प्रावधान प्रभावित नहीं करेंगे । उपधारा 5 में यह स्पष्ट प्रावधान दिया गया है कि दिनांक 20-12-2004 के पूर्व हुये बंटवारे पर इस धारा के प्रावधान लागू नहीं होंगे । बंटवारा राजस्व न्यायालय द्वारा भी संहिता के अन्तर्गत किया जाता है तो वैध बंटवारा माना जावेगा, किन्तु द्वितीय अपीलीय न्यायालय द्वारा तहसील न्यायालय का बटवारा आदेश निरस्त करने में त्रुटि की गई है इसलिये अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश निरस्त किये जाने योग्य है ।

(3) यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि गंगाबाई के जीवनकाल में 6 पुत्रियों का विवाह हो गया था उस समय तक सभी पुत्रियॉ बालिग हो गई थी उन सभी पुत्रियों की संतानें भी हो गई थीं । गंगाबाई की मृत्यु दिनांक 5-5-14 को हुई । बंटवारे के 10 साल पूर्व तक ही सभी पुत्रियों का विवाह हो चुका था । वर्ष 2003 के बंटवारे तक सभी की संतानें भी हो चुकी थी । अनावेदक क्रमांक 7 कलाबाई को वर्ष 2014 में भूमि प्रदान की, मकान दिया है जिस पर कलाबाई रह रही है । उनकी ओर से कभी कोई चुनौती बंटवारेमें नहीं दी गई। इन्हें भी पूर्व से ही बंटवारे की जानकारी प्राप्त है और उन्होंने अपनी सहमति से बंटवारा कराया है । आवेदकगण द्वारा तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 इटारसी के समक्ष वादग्रस्त संपत्ति के संबंध में एक दीवानी दावा भी

प्रस्तुत किया है । इस कारण से भी प्रस्तुत अपील निरस्त किये जाने योग्य थी, किन्तु द्वितीय अपीलीय न्यायालय द्वारा अनावेदकगण की अपील स्वीकार करने में विधि की गंभीर भूल की है।

(4) दिनांक 12-5-03 को शंकरलाल, गंगाबाई, विष्णुप्रसाद, चंन्दनलाल तथा प्रकाशबाई ने तहसीलदार के समक्ष संयुक्त रूप से बंटवारे का आवेदन दियातथा बंटवारे में जिस व्यक्ति को जो संपत्ति मिली उसका उल्लेख आदेश दिनांक 23-10-2003 में किया गया है तथा बंटवारा कियेजाने के पूर्व उद्घोषणा की गई थी तथा अनावेदकगण की मॉ ने न्यायालय में अपना कथन दिया था और संहिता की धारा 178 के तहत बंटवारा करने का अधिकार है, जिसे नये कानून के अनुसार अनावेदकगण को चुनौती देने का अधिकार नहीं है ।

(5) गंगाबाई ने अपने हिस्से में मिली भूमि को राजस्व अभिलेखों में अपना नाम दर्ज कराने का आवेदन दिया और यह भूमि गंगाबाई के नाम पर दर्ज हो गई और गंगाबाई की मृत्यु के बाद उनकी पुत्रियों ने उपरोक्त संपत्ति अपने नाम दर्ज कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जिसके आधार पर उक्त संपत्ति अपने नाम दर्ज कराने हेतु अनावेदकगण द्वारा आवेदन दिया व अनोवदकगण के नाम पर उक्त संपत्ति राजस्व अभिलेख में दर्ज हुई ।

(6) आवेदकगण द्वारा अपने पारिवारिक दायित्वों के अतिरिक्त 3 एकड़ भूमि गंगाबाई को दिनांक 30-4-2014 के आदेश के माध्यम से प्रदान की और राजस्व अभिलेखों में गंगाबाई का नाम दर्ज कराया गया तथा गंगाबाई की मृत्यु के पश्चात् उनके वारिसान ने अपना नाम उक्त भूमि पर दर्ज करा लिया, इसलिये सम्पूर्ण विभाजन की जानकारी न केवल गंगाबाई के वारिसानों को प्रारंभ से रही बल्कि उन्होंने विभाजन में अपनी सहमति भी प्रदान की है और उक्त संपत्ति से लाभ प्राप्त कर रहे हैं किन्तु उनकी नियत में खोट आ जाने से असत्य आधारों पर द्वितीय अपील में अपने पक्ष में आदेश पारित करा लिया है जो निरस्त किये जाने योग्य है ।

(7) द्वितीय अपीलीय न्यायालय को यह देखना चाहिये था कि अनावेदकगण की मॉ गंगाबाई को उनके हिस्से से अधिक भूमि बंटवारे में प्राप्त हुई है । अनावेदकगण की मॉ गंगाबाई की मृत्यु के बाद अनावेदकगण द्वारा संपूर्ण संपत्ति पर जो 4.50 एकड है उस पर अपना नाम दर्ज करा लिया तथा इस विधि विरूद्ध अपील के माध्यम से उक्त विधिक कारण से तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय तथा माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा पारित न्यायिक दृष्टांतों के विपरीत

है इस कारण अपील निरस्त किये जाने योग्य थी, किन्तु अपर आयुक्त द्वारा अपील स्वीकार करने में त्रुटि की है इसलिये अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश निरस्त किये जाने योग्य है ।

(8) लिखित तर्क में अंत में निगरानी स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश निरस्त करते हुये तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने का निवेदन किया गया ।

तर्क के समर्थन 2016 आरएन 43, 1989 आरएन 14 के न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

4/ अनावेदक क्रमांक 1, 2, 4 व 5 के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :-

(1) संहिता की धारा 178 में खाते के विभाजन का उपबंध है खातों के विभाजन का उपबंध नहीं है । संहिता की धारा 178 उपबंध करती है "यदि किसी खाते में जिस पर धारा 59 के अधीन कृषि प्रयोजनों के लिये निर्धारण किया गया है एक से अधिक भूमि स्वामी हो तो उनमें से कोई भी भूमिस्वामी उस खाते में अपील अंश के विभाजन के लिये तहसीलदार को आवेदन कर सकेगा ।" इस धारा से स्पष्ट है कि एक से अधिक भूमि स्वामी का एक खाता होना चाहिये और जिस पर भू राजस्व कृषि भूमि के रूप में लिया जाता हो, परन्तु आवेदकगण द्वारा तहसीलदार के समक्ष जो आवेदन दिया वह चार खाते की परिवर्तित भूमि के और 2 खाते की कृषि भूमि का और इन्हीं 10 खातों का विभाजन तहसीलदार द्वारा अपने आदेश दिनांक 23-10-2003 के माध्यम से किया गया है, जो संहिता की धारा 178 के उपबंध के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है इसलिये अपर आयुक्त द्वारा तहसीलदार का आदेश निरस्त करने में विधिसंगत कार्यवाही की गई है अतः अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त की जाये ।

(2) सहदायिक संपत्ति में पुरूष वर्ग अपने तीन उपर की पीढी से संपत्ति में जन्म से अधिकार पाते हैं तथा 2005 के संशोधन के बाद पुत्रियॉ भी जन्म से अधिकार पाने लगी है परन्तु अपीलाधीन संपत्ति में 1964 से प्रकाश बाई का नाम और सुदंरलाल मृत होने के बाद गंगाबाई का नाम मीरा बाई का नाम राजस्व अभिलेख में उत्तराधिकार के रूप में दर्ज रहा है इस कारण से भी यह भूमि सहदायिक भूमि नहीं है ।

(3) अनुविभागीय अधिकारी इटारसी ने आदेश उत्तर जीविका के सिद्धांत के आधार पर पारित किया है जबकि अपीलाधीन भूमि पर उत्तराधिकार का सिद्धांत लागू होता है उत्तराधिकार का

सिद्धांत पूर्ण धारित संपत्ति पर लागू होता है और यह संपत्ति 1964 से ही पूर्ण धारित की गई है।

(4) धारा 6 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के आधार पर राजस्व न्यायालय को सुनवाई करने का और निराकरण करने का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है इस कारण भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेश निरस्त कर अपील स्वीकार करने में विधिसंगत कार्यवाही की गई है, इसलिये अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

(5) अनावेदक क्रमांक 7 को आवेदकगण ने विचारण न्यायालय के समक्ष न तो पक्षकार बनाया न ही उसे उसके पिता की संपत्ति में कोई हिस्सा या अंश दिया जबकि अनावेदक क्रमांक 7 का भी आवेदकगण के बराबर अंश और हिस्सा इस संपत्ति में है इस आधार पर भी विचारण न्यायालय का आदेश् और प्रथम अपीलीय न्यायालय का आदेश विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य थे । इसलिये अपर आयुक्त द्वारा तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेश निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है अत: अपर आयुक्त का आदेश स्थिर रखते हुये निगरानी निरस्त की जाये ।

(6) जहॉ तक प्रश्न है कि उत्तरवादी द्वारा की मृतक बालमुकुन्द चौरे ने अपनी मृत्यु 1988 के पूर्व मौखिक पारिवारिक व्यवस्था कर दी थी जिसके आधार पर वर्ष 1992 में जो भूमि जिस-जिस को प्राप्त हुई उसका अभिलेख प्रस्तुत है इस अभिवचन में और दस्तावेज में तर्क है कि वर्ष 1992 के अभिलेख में भी भूमि अनावेदकगण की मॉ ने संशोधन पंजी क्रमांक 1357 दिनांक 30-11-1992 में शामिल शरीक रूप से दर्ज है और इसी संशोधन के नीचे संशोधन पंजी क्रमांक 1358 में गंगाबाई का नाम दर्ज नहीं किया गया क्योंकि आवेदकगण की नीयत तो प्रारंभ से ही अनावेदकगण और उसकी मॉ को कोई संपत्ति नहीं देने की थी ।

तर्क के समर्थन में राजस्व निर्णय वीकली वर्ष2016(2) नोट नं. 4, 2001 नोट नं. 205, 2006 नोट नं. 207, 2005 नोट नं. 300, 2005 नोट नं. 184, 1992 नोट नं. 390, 1992 नोट नं. 277, 1990 नोट नं. 389, 1988 नोट नं. 346 प्रस्तुत किये गये ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार इटारसी के समक्ष आवेदकगण, मृतक भूमिस्वामी की पत्नी प्रकाश बाई एवं अनावेदक क्रमांक 1 लगायत 6 की मॉ स्वर्गीय गंगाबाई द्वारा प्रश्नाधीन भूमियों के बटवारे हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया

है, जिसमें सहमति से पूर्व में हुये आपसी बटवारे अनुसार सहखातेदारों के हिस्से की भूमियों का विवरण उल्लिखित है, और उसी अनुसार बंटवारा चाहा गया है । तहसीलदार द्वारा प्रकरण दर्ज कर उद्घोषणा का प्रकाशन किया जाकर सहखातेदारों के बयान लिये गये हैं, अनावेदक क्रमांक 1 लगायत 6 की मॉ स्वर्गीय गंगाबाई ने अपने बयान में स्पष्ट कथन किया है कि आवेदन पत्र के अनुसार बंटवारा कराने में हम सभी सहमत है । बंटवारा मौके पर पहले ही हो चुका है और उसी के अनुसार अपना अपना हिस्सा जोत रहे हैं । अत: मुताबिक आवेदन पत्र अभी का बंटवारा किया जावे । इसी आशय के कथन सभी सहखातेदारों द्वारा भी किये गये हैं । स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा विधिवत् कार्यवाही की जाकर सभी पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये सहमति से बंटवारा आदेश पारित किया गया है, जो अपने स्थान पर पूर्णत: विधिसंगत एवं न्यायिक आदेश है, जिसकी पुष्टि करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है ।

6/ अपर आयुक्त द्वारा मुख्य रूप से इस आधार पर तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेश निरस्त किये गये है कि तहसीलदार द्वारा प्रश्नाधीन भूमियों का असमान विभाजन किया गया है, गंगाबाई की समक्ष में सुनवाई नहीं की गई और मृतक भूमिस्वामी बालमुकुन्द की पुत्री को विभाजन में भूमि नहीं दी गई । इस संबंध में जैसा कि ऊपर विश्लेषण किया गया है कि तहसीलदार द्वारा सभी पक्षकारों को सुनवाई का अवसर दिया गया है, और गंगाबाई द्वारा बंटवारे में सहमति दी गई है, इस तथ्य को इस बाते से भी बल मिलता है कि गंगाबाई द्वारा अपने जीवनकाल में तहसीलदार के बटवारा आदेश को चुनौती नहीं दी गई है और न ही अनावेदकगण द्वारा गंगाबाई के जीवनकाल में बंटवारा आदेश के विरूद्ध कोई कार्यवाही ही की गई । अत: 2016 आर0एन0 43 हरबोबाई विरूद्ध रणवीर सिंह में प्रतिपादित न्यायिक सिद्धांत कि ''सहमति से विभाजन आदेश के विरूद्ध अपील चलाने योग्य नहीं'' के प्रकाश में अनावेदकगण को अपील प्रस्तुत करने की ही अधिकारिता नहीं थी । इसके अतिरिक्त 1989 आरएन 14 दयाराम विरूद्ध हरचंद में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है -

''धारा 178 - पूर्व में पारस्परिक विभाजन का अभिवाक् किया गया । समान अंश प्राप्त न होने के आधार लेकर पारस्परिक विभाजन को इंकार नहीं किया जायेगा । यह विभाजन सद्भावना पर आधारित है ।''

चूँकि गंगाबाई द्वारा आवेदन पत्र एवं बयान में पूर्वमें विभाजन होने के कथन किया गया है, इसलिये माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त न्यायिक सिद्धांत के प्रकाश में तहसीलदार द्वारा पारित विभाजन आदेश निरस्त करने में अपर आयुक्त द्वारा त्रुटि की गई है । जहॉ तक अनावेदिका क्रमांक 7 स्वर्गीय भूमिस्वामी बालमुकुन्द की पुत्री को बंटवारे में हिस्सा नहीं देने संबंधी अपर आयुक्त के निष्कर्ष का प्रश्न है, प्रथमत: तहसीलदार के बंटवारा आदेश पर अनावेदिका क्रमांक 7 द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है और न ही अपील प्रस्तुत की गई है । द्वितीय अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश में स्पष्ट विवेचना की गई है कि हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम की धारा 6(1) दिनांक 20-12-2004 के पूर्व में हुये बंटवारे पर लागू नहीं होगी । स्पष्ट है कि अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश पूर्णत: अवैधानिक एवं अनियमित होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त नर्मदापुरम् संभाग होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 22-09-2017 निरस्त किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी इटारसी द्वारा पारित आदेश दिनांक 25-03-2017 एवं तहसीलदार इटारसी द्वारा पारित आदेश दिनांक 23-10-2003 स्थिर रखे जाकर निगरानी स्वीकार की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर